

सं.सं- 5/वि.सं-20-36/2011

**बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग**


**आदेश**

आ.सं- 820 (5)

पटना, दिनांक- 03/7/2011

स्वास्थ्य विभाग के द्वारा Primary, Secondary एवं Tertiary स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यान्वयन एवं सुदृढीकरण की दिशा में निरंतर कार्य किये जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के कार्य जनहित से अभिन्न रूप में जुड़े हुए हैं तथा किये जा रहे कार्यों की जानकारी सर्व साधारण को निरंतर दिया जाना आवश्यक है ताकि सभी संबंधित को इन सेवाओं का लाभ मिल सके। ऐसा तब संभव है जब स्वास्थ्य विभाग एवं मिडिया के बीच समन्वय स्थापित रहे तथा मिडिया के माध्यम से सभी को स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की जानकारी दी जा सके।

मिडिया से समुचित समन्वय स्थापित करने के लिए श्री मनोज कुमार, भा.प्र.से., कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति को विभागीय प्रवक्ता के रूप में नामित किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे अपने प्रक्षेत्र से संबंधित सभी जानकारी विभागीय प्रवक्ता को समय समय पर या अधियाचित किये जाने पर उपलब्ध कराते रहेंगे।



(संजय कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 820 (5)

पटना, दिनांक- 03/7/2011

प्रतिलिपि-सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति/सभी विशेष सचिव/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति/परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति/विशेष सचिव-सह-कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव एवं सभी अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 820 (5)

पटना, दिनांक- 03/7/2011

प्रतिलिपि-सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी जानकारी मिडिया एवं सभी संबंधित को देने की कृपा की जाय।




सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 820 (5)

पटना, दिनांक- 03/7/2011

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एवं मा० मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के प्रधान सचिव